



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 478 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 779(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों) नियम, 2003 है।
- (2) ये 1 अक्टूबर, 2003 को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकरण” से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

**3. पदावधि :—**

प्राधिकरण का अध्यक्ष उस रूप में उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह कि कोई अध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर हों, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

**4. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते :—**

(1) अध्यक्ष 26,000 रु० प्रतिमाह के नियत वेतन का हकदार होगा। अध्यक्ष के रूप में जिस सेवानिवृत्त व्यक्ति की नियुक्ति दर्शाए उसका वेतन, ऐसे व्यक्तियों के लिए लागू यथा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष ऐसे भत्तों, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आवास और अन्य परिलब्धियों आदि का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।

**5. गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते :—**

(1) प्राधिकरण का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य राजपत्र में उसकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से एक समय में तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि तक अपना पद धारण करेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य उपस्थिति भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक

भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा, जो ऐसे के आयुगों अथवा समितियों की बैठकों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के आयुगों और समितियों के गैर-सरकारी सदस्य के लिए लागू हैं।

**6. गैर-सरकारी सदस्य की रिक्तियों को भरना :—**

(1) प्राधिकरण का कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा और प्राधिकरण में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) प्राधिकरण में एक गैर-सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को एक नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित व्यक्ति इस पद को उस सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया कि शेष पदावधि तक ही धारण रहेगा।

**7. प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना :—**

प्राधिकरण के किसी सदस्य को धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का न हो, सम्यक् और से उचित जांच कराए बिना और ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2003

**G.S.R. 779(E).**—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 62 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement :—**

- (1) These rules may be called the National Biodiversity Authority (Salary, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the 1st day of October, 2003.

**2. Definitions :—** In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) “Act” means the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003);
- (b) “Authority” means the National Biodiversity Authority established under Sub-section (1) of Section 8;

(c) “Chairperson” means the chairperson of the Authority;

(d) “Member” means the Member of the Authority;

(e) “Section” means a Section of the Act.

**3. Tenure :—**

A Chairperson of the Authority shall hold office as such for a period of three years from the date on which he enters upon his office but shall be eligible for re-appointment for another term of three years :

Provided that no Chairperson shall hold office as such after he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

**4. Pay and Allowances of Chairperson :—**

(1) A Chairperson shall be entitled to a fixed pay of Rs. 26,000 per month. In case of retired person is appointed as Chairperson, his pay shall be fixed in accordance with the orders of the Central Government as applicable to such persons.

(2) A Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, pension, provident fund, house and other perquisites etc. to be decided by the Central Government from time to time.

**5. Term of Office and Allowances of Non-official Members :—**

- (1) Every non-official member of the Authority shall hold his office for a term not exceeding three years at a time from the date of publication of his appointment in the Official Gazette.
- (2) Every non-official member attending the meeting of the Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official member of commissions and committees of the Central Government attending the meeting(s) of such Commissions or Committees.

**6. Filling up of Vacancies of non-official member :—**

- (1) A non-official member of the Authority may resign his office at any time by giving in writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of that member in the Authority shall become vacant.
- (2) A casual vacancy of a non-official member in the Authority shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he was nominated.

**7. Removal of the members of the Authority :—**

No member of the Authority shall be removed from his office on any ground specified in Section 11, without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of a Secretary to the Government of India appointed by the Central Government and without giving such member a reasonable opportunity of being heard.

[F.No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]  
DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.